दूरभाष: / **Ph. :** 0532–2569727

# क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj,

roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 G-01374/OA No. 381/2022/2023 दिनांक 25/03/2023

E-Mail/Registered Post

To,

**The Registrar,**
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail:- judicial-ngt@gov.in

**Subject:-** Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 381/2022 Shob Nath Dwivedi Vs Ram Lakhan Urf Bhuindhar Passi, in order dated 26-05-2022.

**Sir,**

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on dated 26-05-2022 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 381/2022 Shob Nath Dwivedi Vs Ram Lakhan Urf Bhuindhar Passi, the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

**Encl:**-As Above.

Your Sincerely

25/3/23

(R. K. Singh)
**Regional Officer**

**Copy to:-**

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
2. District Magistrate, Prayagraj for information.
3. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
5. Sri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/NGT, B-235, Sector-19, Noida, for perusal and necessary action please.

25/3/23

**Regional Officer**

AEE

**मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल अप्लीकेशन संख्या 381/2022 शोभ नाथ द्विवेदी बनाम राम लखन उर्फ भिन्धर पासी व अन्य में Requisite Remedial Action के साथ जांच रिपोर्ट:-**

प्रकरण प्रयागराज वन प्रभाग के प्रतापपुर रेंज के अन्तर्गत ग्रामसभा सिधोरा पोस्ट ऑफिस उग्रसेनपुर विकास खण्ड प्रतापपुर थाना सराय ममरेज तहसील हण्डिया प्रयागराज में स्थित भूखण्ड सं0–238 एवं 240 में पर्यावरण संरक्षण अभियान के अन्तर्गत रोपित पौधों को दिनांक–09.10.2021 से 13.10.2021 तक लगातार उखाड़े जाने के सम्बन्ध में श्री शोभनाथ द्विवेदी द्वारा श्री रामलखन उर्फ भिन्धर पासी व अन्य के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली में शिकायत की गयी है। उक्त शिकायत को राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली ने ओरिजिनल अप्लीकेशन संख्या 381/2022 शोभनाथ द्विवेदी द्वारा बनाम रामलखन उर्फ भिन्धर पासी व अन्य के रूप में पंजीकृत/दर्ज कर लिया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली ने दिनांक–26.05.2022 को उपरोक्त अप्लीकेशन में सुनवाई के उपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है।

1. The grievance in the present application filed by Shobh Nath Dwivedi son of Bhagawat Prasad Dwivedi resident of Village Sidhora, Post Office Ugarsainpur, Block-Pratappur, Police Station Sarai Mamrej, Tehsil Hadiya, District Prayagraj, Uttar Pradesh is regarding successive uprooting of trees planted under Environmental Conservation Campaign in village Sindhora Sora Gata No. 238 & 240 on 09.10.2021, 10.10.2021, 11.10.2021, 13.10.2021, 30.11.2021 by his co-villagers Ram Lakhan @ Bhuindhar Passi son of Bhikhan Passi and Babudeen son of Ram Lakhan @ Bhuindhar Passi for encroaching upon the above said land.
2. 2. In view of the averments made in the letter petition, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory Authorities. We accordingly constitute Joint Committee of DFO, Prayagraj, and District Magistrate, Prayagraj and direct the same to meet within four weeks and undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite remedial action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.
3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions.

   The application is disposed of with the above said directions.

   A copy of this order along with a copy of the application and documents sent with the same be forwarded to DFO, Prayagraj, and District Magistrate, Prayagraj by e-mail for compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली ने दिनांक–26.05.2022 को सुनवाई के दौरान अपने आदेश में उपरोक्त प्रकरण में प्रभागीय निदेशक सा0वा0 वन प्रभाग प्रयागराज एवं जिला अधिकारी प्रयागराज को संयुक्त समिति बनाकर याची की समस्या के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित उपचारात्मक कार्यवाही (Requisite Remedial Action) हेतु आदेश पारित किया है। और उक्त ओरिजिनल अप्लीकेशन को निस्तारित कर दिया है। और निर्देशित किया है कि निस्तारण आदेश/कृत कार्यवाही को form of searchable PDF/OCR Support PDF के रूप में judicial-ngt@gov.in पर उपलब्ध करायें।

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त जाँच समिति के सदस्य श्री महावीर कौजलगी प्रभागीय निदेशक प्रयागराज तथा जिला अधिकारी प्रयागराज द्वारा नामित सदस्य श्री कुँवर पंकज अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी प्रयागराज द्वारा दिनांक–05.01.2023 को ग्राम सिधोरा सोरो पोस्ट ऑफिस उग्रसेनपुर विकास खण्ड प्रतापपुर थाना सराय ममरेज तहसील हण्डिया जिला प्रयागराज के विवादित स्थल ग्रामसभा सिधौरा सोरो के गाटा सं0–238 व 240 का मौके पर निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान मौके पर श्री राम प्रसाद सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रतापपुर एवं अन्य वन कर्मचारी भी उपस्थित थे, स्थल निरीक्षण के दौरान वादी श्री शोभनाथ द्विवेदी एवं प्रतिवादी श्री रामलखन उर्फ भिन्धर पासी एवं अन्य लोग मौके पर उपस्थित रहें। स्थलीय जाँच के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगणों के मौखिक एवं स्वतंत्र रूप से लिखित बयान लिये गये और क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रतापपुर को हण्डिया तहसील भेजकर उपजिलाधिकारी हण्डिया एवं तहसीलदार हण्डिया को प्रकरण से अवगत कराने एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को मौके पर भेज कर प्रकरण से

सम्बन्धित जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में दिनांक–08.01.2023 को नायब तहसीलदार हण्डिया द्वारा स्थलीय जाँच के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगणों को बुलाया गया। वादी श्री शोभनाथ द्विवेदी तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्ध समिति ग्रामसभा सिंधौरा भी मौके पर उपस्थित थे। विषयक प्रकरण में मौके पर लेखपाल एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रतापपुर की उपस्थिति में बयान लिया गया। हल्का लेखपाल द्वारा उक्त दोनों गाटा सं0–238 व 240 की नाप जोख की गयी। पुनः दिनांक–19.01.2023 को तहसीलदार हण्डिया व सम्बन्धित कानूनगो एवं लेखपाल को मौके पर उपस्थित होकर पुनः गाटा सं0–238 व 240 की नाप जोख कर चिन्हित किया गया। हल्का लेखपाल, नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार हण्डिया के सर्वेक्षण सीमांकन में प्रश्नगत भूमि गाटा सं0–238 तथा 240 ग्रामसभा सिंधौरा की सरकारी सम्पत्ति पाई गई जिसका रकबा क्रमशः 0.0570 हे0 तथा 0.480 हे0 अर्थात कुल 0.537 हे0 है। मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.05.2022 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण में निम्न तथ्य पाये गये:–

1. उ0प्र0 जमीनदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम पंचायत की या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी सम्पत्ति के रख–रखाव, संरक्षण अथवा पर्यवेक्षण सम्बन्धित कर्त्तव्यों के पालन हेतु भूमि प्रबन्ध समिति की स्थापना की गई है। इसी अधिनियम की धारा 122–क सुसंगत नियम 115–ग में यह उल्लिखित है कि **–भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा भूमि आदि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा निरीक्षण** –ग्रामसभा के निमित्त तथा उसकी ओर से धारा 167 के अधीन ग्रामसभा में निहित सब भूमि ग्राम की सीमाओं के भीतर स्थित जंगलों (खेत, बाग या आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर) पेड़ों, तालाबों, पोखरों, जल प्रणालियों, रास्तों, आबादी के स्थलों, हाटों, बाजारों तथा मेलों के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्धन एवं संरक्षण तथा नियंत्रण का भार भूमि प्रबन्ध समिति पर होता है, अर्थात स्पष्ट है कि प्रश्नगत गाटा सं0–238 तथा 240 पर ग्रामसभा सिंधौरा का स्वामित्व है। प्रश्नगत प्रकरण में याची शोभनाथ द्विवेदी आत्मज स्व0 भगवत प्रसाद द्विवेदी द्वारा ग्रामसभा सिधौरा के स्वामित्वाधीन भूमि गाटा सं0–238 तथा 240 में वृक्षारोपण अथवा अन्य सामाजिक कार्यों को करने के लिए भूमि प्रबन्ध समिति सिंधोरा से कोई अनुमति अथवा वृक्षों के लगाने एवं उसपर मालिकाना हक रखने के लिए ट्री पट्टा इत्यादि प्राप्त नहीं किया गया था। अतः याची का यह तथाकथित वृक्षारोपण कार्य की पुष्टि नहीं होती है।
2. प्रश्नगत प्रकरण में याची द्वारा अपने application दिनांक 11.05.2022 में यह उल्लेख किया गया है कि **"प्रार्थी द्वारा ग्राम सिंघोरा सोरो के गाटा सं0–238 तथा 240 जो बंजर भूमि है एवं ग्रामसभा सिंघोरा के अधीन है।"** अर्थात याची को यह पूरी जानकारी थी कि प्रश्नगत गाटा सं0–238 तथा 240 भूमि प्रबन्ध समिति ग्रामसभा सिंधोरा के स्वामित्वाधीन है जिसके संरक्षण, संवर्धन तथा सुरक्षा का उत्तर दायित्व भूमि प्रबन्ध समिति सिंधोरा पर था, फिर भी याची को बिना विधिक कार्यवाही के प्रश्नगत गाटा सं0–238 तथा 240 में तथाकथित वृक्षारोपण का कार्य नहीं करना चाहिए था। उक्त तथाकथित कार्य अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उपरोक्त की पुष्टि सम्बन्धित लेखपाल, नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार हण्डिया द्वारा भी किया गया है।
3. याची द्वारा विभिन्न पौधशालाओं से निम्न प्रकार के विभिन्न प्रजातियों की पौध क्रय किये जाने की रसीद अपने application के साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
   1 नौसाद नर्सरी मलीहाबाद लखनऊ– दिनांक 24.01.2020– कुल 228 पौध
   2 सत्यम उत्तम नर्सरी उग्रसेनपुर प्रयागराज–दिनांक 29.10.2021– कुल 49 पौध
   3 सत्यम उत्तम नर्सरी उग्रसेनपुर प्रयागराज–दिनांक 31.11.2021– कुल 14 पौध
   योग– 291 पौध

याची द्वारा अपने application में उल्लेख किया गया है कि– **"इस तरह लगभग दो दर्जन आरोपित पेड़ों को उपर्युक्त अपराधियों द्वारा उखाड़ कर नष्ट किया गया है।"**

यदि 291 पौधों में से दो दर्जन अर्थात 24 पौधों को घटा दिया जाय तो भी याची के कथनानुसार प्रश्नगत गाटा सं0–238 तथा 240 में लगभग 267 रोपित पौधे मौके पर होने चाहिए थे, किन्तु मौका निरीक्षण करने पर प्रश्नगत गाटा सं0–238 तथा 240 में याची द्वारा अपने application में लगाये गये नर्सरी रसीद में वर्णित प्रजाति तथा 2–3 साल के रोपित पौधे नहीं पाये गये, जिससे स्पष्ट है कि याची द्वारा उक्त अवधि में प्रश्नगत गाटा सं0 में कोई पौध रोपण नहीं किया गया है।

4. याची द्वारा अपने application में दिनांक 11.05.2022 के संलग्नक (क) के रूप में अपने पत्र दिनांक 25.12.2020 का उल्लेख किया गया है जो थाना अध्यक्ष सराय ममरेज को सम्बोधित है में उल्लेख किया गया है– **" ज्ञात हो कि उक्त गाटा सं0 पर प्रार्थी के पूर्वजों के समय से चली आ रही बाग है, जिसमें अब भी प्रार्थी के पेड मौजूद हैं। जब प्राथी फिर पेड़ लगाने ट्री गार्ड और मजदूरों के साथ गया तो भूइधर पासी के जवान नाती पोतों ने पेड़ लगाने नहीं दिये।"**
   उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गाटा सं0–238 तथा 240 जो ग्रामसभा सिंधोरा के भूमि प्रबन्ध समिति के स्वामित्वाधीन होकर सरकारी सम्पत्ति है उसे याची खुद के पूर्वजों द्वारा रोपित वृक्षों तथा अपना मालिकाना हक मान रहा है। पूर्व में याची ने कहा था कि याची पर्यावरण सेना में राज्य संयोजक,

पर्यावरण सेना का पद धारक है। जिससे यह आभास होता था कि याची पर्यावरण में रूचि रखने के कारण जनहित में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न करा रहा है किन्तु उसके द्वारा दिनांक 25.12.2020 को थाना अध्यक्ष सरायममरेज को लिखे पत्र से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गाटा सं0–238 तथा 240 को याची द्वारा अपने पूर्वजों की सम्पत्ति मानते हुए अपने निजी लाभ के लिए तथा सरकारी भूमि पर पर्यावरण तथा वृक्षारोपण के नाम पर कब्जा करना चाहता है।

5. याची द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष जो पेपर कंटिग तथा फोटोग्राफस प्रस्तुत किये गये हैं वे कहीं भी प्रश्नगत गाटा सं0–238 तथा 240 में वृक्षारोपण करने की पुष्टि नहीं करते हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के विभिन्न प्रावधानों के तहत ये विधिक रूप से साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं है। अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
6. याची द्वारा अपने application दिनांक 11.05.2022 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 09.10.2021, 10.10.2021, 11.10.2021, 13.10.2021 तथा 30.11.2021 को याची द्वारा पौधे लगाये जाते रहे तथा उसके पड़ोंसी ग्राम निवासी राम लखन उर्फ भूइधर पासी आत्मज श्री भीखंन पासी तथा श्री बाबू दीन आत्मज श्री राम लखन उर्फ भूइधर पासी द्वारा उखाड़ कर नष्ट करता रहा और उपरोक्त भूमि गाटा सं0 228 तथा 240 पर कब्जा करना चाहता है। यदि घटना 09.10.2021से 30.11.2021 तक की थी तो इसकी सूचना सम्बन्धित उत्तरदायित्व अधिकारियों को दिनांक 25.12.2020 (थाना अध्यक्ष सरायममेज को सम्बोधित), दिनांक 21.01.2021 (उप जिलाधिकारी हण्डिया को सम्बोधित), दिनांक 27.07.2021 (जिलाधिकारी प्रयागराज को सम्बोधित) क्यों किया गया। सभी पत्र भ्रामक तथा कूट रचित प्रतीत होते हैं।
7. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत गाटा सं0–238 तथा 240 ग्रामसभा सिंधोरा की सरकारी सम्पत्ति है जो भूमि प्रबन्ध समिति ग्रामसभा सिंधोरा के स्वामित्वाधीन है। राजस्व अभिलेखों तथा मौके पर सम्बन्धित लेखपाल, नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार हण्डिया के सर्वेक्षण सीमांकन से भी इसकी पुष्टि होती है। याची श्री शोभ नाथ द्विवेदी तथा श्री राम लखन उर्फ भूइधर पासी इस आराजी के करीबी हैं, और इन दोनों में प्रश्नगत सरकारी सम्पत्ति पर ऐन केन प्रकरेण कब्जा करना चाहते है। दोनों में सरकारी भूमि गाटा सं0–238 तथा 240 जो भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम सभा सिंधोरा के स्वामित्वाधीन भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रतिद्वन्दिता बनी हुई प्रतीत होती है। वस्तुतः उक्त गाटा सं0–238 तथा 240 में न तो याची द्वारा कोई पौध रोपण किया गया है और न ही प्रतिवादी श्री राम लखन उर्फ भूइधर पासी व अन्य के द्वारा इस उखाड़ा ही गया है। अतः शिकायत तथ्यों से परें तथा फेब्रिकेटेड होने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसे निक्षेपित करना चाहें।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग,
प्रयागराज

(संजय कुमार खत्री)
जिलाधिकारी
प्रयागराज